26

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर
निग -1667 - I-16

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक	कमलसिंह बरकड़े उम्र 32 वर्ष पिता श्री विपतसिंह बरकड़े (गौड़) निवासी घाट पिपरिया थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर
	विरुद्ध
गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक	1- श्री सुनील कुमार दुबे पिता श्री भीकमलाल दुबे निवासी 532/1 छोटा जैन मंदिर गढ़ा जिला जबलपुर 2- श्री सतीश कुमार पटेल पिता स्व. श्री कोमल प्रसाद पटेल निवासी 527/1 बड़ा जैन मंदिर के पास,गढ़ा जबलपुर 3- श्री राजेश कुमार साहू पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा ... जबलपुर 4- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर

श्री अमित मिश्रा अधिवक्ता द्वारा कैम्प जबलपुर पर प्रस्तुत
A. Mishra (Adv.) 26/5/16

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 29/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 38/37 हरई रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 59/1, 59/2, 60 रकबा क्रमशः 1.08, 1.70 एवं 0.850 हैक्टर कुल रकबा 3.63 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री सुनील कुमार दुबे, श्री सतीश कुमार पटेल को एवं ग्राम चरगवां प.ह.नं. 38/37 खसरा नं. 107/1, 115 रकबा क्रमशः 0.160 एवं 0.98 कुल 1.06 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदि जनजाति सदस्य श्री राजेश साहू को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 19-01-2016 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार से जांच कराकर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को पेश किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई किए जाने का आवेदन जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष दिया जिसे जिलाध्यक्ष महोदय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त कर प्रकरण 30-5-2016 के लिए नियत किया है, कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह

कमल सिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1661-एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
5-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस में समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । विचारोपरांत उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	